10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

319

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. /निगरानी/ /1/2017 R 940-I-17

श्री जगदीश श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि 23-3-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती ममता अहिरवार पत्नी श्री किशनलाल अहिरवार निवासी जिजौरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ ....प्रार्थिनी

बनाम

1 कल्लू पुत्र श्री शटटू निवासी जिजौरा तहसील ओरछा जिला टीकमगण

2 सरपंच ग्राम पंचायत जिजौरा

3 म0प्र0शासन द्वारा तहसीलदार, तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ .....प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ म0प्र0के प्रकरण कमांक 69/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.02.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थिनी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, प्रार्थिनी के स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम जिजौरा तहसील ओरछा में स्थित सर्वे कमांक 671/13 रकवा 0.440हे0 भूमि थी राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि प्रार्थिनी के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के नाम से दर्ज होकर मौके पर कब्जाधारी थी परन्तु नक्शे मे उक्त नम्बर का तरमीमी न होने के कारण प्रार्थिनी ने विचारणीय न्यायालय एवं तहसील ओरछा के न्यायालय में म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 70 के अंतर्गत नक्शे में तरमीमी कराए जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारणीय न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मौके के कब्जे के अनुसार तरमीमी प्रस्ताव मगाए जाने बावत् पत्र जारी किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम पटवारी के साथ मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीमी प्रस्ताव तैयार करके विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये । उक्त तरमीमी प्रस्ताव पर इश्तहार जारी होने पर प्रतिप्रार्थी कमांक-1 व 2 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जिस सर्वे कमांक पर प्रार्थिनी का कब्जा बताते हुये तरमीमी प्रस्ताव किया है उक्त भूमि है तथा उस पर मेरा कब्जा है तथा दूसरी आपत्ति प्रतिप्रार्थी कमांक-2 ने प्रस्तुत की कि उक्त खाते में सहखातेदार नही था और ना ही उसे तरमीमी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-940-एक/2017 जिला टीकमगढ़ ममता विरूद्ध कल्लू व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 69/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14-02-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-03-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 21-01-19 (आर.के. जैन) सदस्य	